	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 19, बुधवार, *शाके* 1947- दिसम्बर 10, 2025 Agrahayana 19, Wednesday, Saka 1947- December 10, 2025	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 08, 2025

संख्या एफ.15(41)पंरावि/विधि/प्रशासक/2025/ई-72044/19261824:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी समस्त जिला परिषदें जिनका कार्यकाल दिनांक 11.12.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त जिला परिषदों में संबंधित जिला कलक्टर को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की ऐसी समस्त जिला परिषदों में संबंधित जिला कलक्टर को संबंधित जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त करती है। प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित जिला परिषद की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,
डॉ0 जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।